रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092023-248858
CG-DL-E-21092023-248858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945
No. 536] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 678(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में उप निदेशक प्रशासन के पद की भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन +9\=से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति मामले में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. उप निदेशक प्रशासन (क्षेत्र कार्यालय)।	16* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण 1.- निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रखे गए पदों की कुल संख्या, किसी भी समय, उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- ये नियम केंद्रीय सरकार के सभी उप निदेशक (प्रशासन) की अधिवर्षिता हो जाने पर अस्तित्वहीन हो जाएंगे, जो निगम में मानी गई प्रतिनियुक्ति पर हैं ।	समूह 'क' पद ।	स्तर 11 (67700-208700 रू) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी से या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा : टिप्पण 1.- पोषक सवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियो के दो प्रवर्गो अथार्त निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए सरकारी सेवेकों और निगम के अधिकारियो और कर्मचारियों द्वारा भरी जाएंगी, जैसा निगम निर्णय करे। टिप्पण 2.- किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां, जो इन नियमों के अधीन प्रोन्नति की पद्धति के माध्यम से भरे जाने से रह गई हैं, उन्हें निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तगर्त अल्प कालिक संविदा है) द्वारा भरी जाएंगी।	आकाशवाणी या दूरदर्शन में वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (47600-1,51,100 रू) में ऐसे लेखा निरीक्षक/ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके जयेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य; 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य; समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य; 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य;	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-48011/1/2014-बीएपी]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, 19th September, 2023

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Administration in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, their classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Deputy Director of Administration (Field Offices).	16* (2023) *Subject to variation dependent on workload. Note 1. - The aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation	Group 'A' Post.	Level 11 (Rs.67700 -208700).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	shall not, at any time, exceed the total number of posts sanctioned for that grade. Note 2. - These rules shall cease to exist on the superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation.						

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By Promotion. Note 1. - The vacancies arising in a particular year shall be filled up by promotion from two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note 2.- The vacancies arising in a particular year, which remain unfilled through the method of promotion under these rules, shall be filled up by deputation (including	Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer in level 8 (Rs. 47600-1,51,100/-) in the Pay Matrix with eight years regular service in the grade in Akashwani or Doordarshan. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- 1.Chief Executive Officer, Corporation – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, Akashvani – Member; 4. Director General, Doordarshan – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1.Chief Executive Officer, Corporation – Chairman;	Not applicable.

	short-term contract) in accordance with the regulations notified by the Corporation under section 33 of the said Act.	who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, Akashvani – Member; 4. Director General, Doordarshan – Member.	

[F. No. A-48011/1/2014-BAP]

C. SENTHIL RAJAN, Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA